गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के लिए एनएचएआई ने जमीन अधिग्रहण की अधियाचना सौंपी

एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू

सुविधा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। गोरखपुर-सिलीगुड़ी और रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। दोनों एक्सप्रेस-वे छह लेन का बनेगा। सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए एनएचएआई ने संबंधित जिलों को अधियाचना भेज दी है। दोनों सड़कें राज्य के 17 जिले से होकर गुजरेंगी।

पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस-वे का मार्ग पहले से ही स्वीकृत है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस-वे बिहार के आठ जिलों मसलन पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से गुजरेगी। बिहार में इस सड़क की लंबाई 476 किमी है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए लगभग 2941 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार (काला) की नियुक्ति के उपरान्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सभी जिलों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधियाचना समर्पित किया गया है। वहीं रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे राज्य के नौ जिले मसलन पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर और बांका से होकर गुजरेगी। इसकी लंबाई बिहार में 407 किमी है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए लगभग 2900 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए एनएचएआई ने सभी नौ जिलों में भू-अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकार (काला) की नियुक्ति के लिए अधियाचना समर्पित की गई है।

17 जिले से होकर गुजरेंगी दोनों सड़कें

दो माह में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा होगा

मंत्री ने कहा कि इन दोनों एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तीव्र गति से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। सभी जिलों में तीव्रगति से भू-अर्जन के लिए सहायक भू-अर्जन पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए भू-अर्जन कार्य की राज्य सरकार की ओर से सघन अनुश्रवण करने का निर्णय लिया गया है। अगले दो माह में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हरसंभव मदद दी जाएगी।